

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला

क्रमांक

196/25

दि 27.9.25

निष्पत्ति :-

प्राथी के ~~मोसद~~ ~~अन्वार्~~ ~~उ~~ ~~गुलाब~~ ~~वार्ड~~ ~~पार्ल~~ गोपाल
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि याम ~~वार्ड~~ पटवार मण्डल ~~वार्ड~~
 जिला बारा की नाम जमानत संख्या 207-~~3~~ के खाता संख्या 54 में खानेदार ~~गोपाल~~
 नाम/जाति ~~गुलाब वार्ड पार्ल~~ ~~राम गोपाल~~ अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप में
~~गुलाब वार्ड पार्ल~~ ~~गोपाल~~ अंकित किया जावे। प्राथी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी ~~गुलाब वार्ड पार्ल~~ ~~वार्ड~~
 से करवाने पर पटवारी ने ~~गुलाब वार्ड पार्ल~~ ~~पार्ल~~ ~~राम गोपाल~~ के बजाय ~~गोपाल~~
 करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में ~~राम गोपाल~~
 क बजाय ~~गोपाल~~ करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर सौरा 136 राजस्थान नूतनीकरण अधिनियम 1957
 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अमितेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
 ग्राम ~~वार्ड~~ के खाता संख्या 54 में खानेदार/मैसूरतदार के नाम/जाति ~~गुलाब वार्ड पार्ल~~ ~~राम~~
 के स्थान पर सम्मानजनक रूप में ~~गुलाब वार्ड पार्ल~~ ~~गोपाल~~ दर्ज करने
 आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार सौरा रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 छबड़ा जिला बारा